न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय(सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती एकता काबरा, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक : 07/07/2023

वाद पत्र सख्या : 46 / 2022

हरिकृष्ण चौधरी पुत्र कल्याण सहाय चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1 कालूराम पुत्र बिरदा

2 धन्नाराम पुत्र बिरदा

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

4 उप पंजीयक सांगानेर प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व एक वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया कि वादी ने हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 748 रकबा 0.64 है0, वाके ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे हिस्सा 1/7 दर हिस्सा 1/2 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 08/05/2008 को प्रतिवादी सख्या एक व दो के पिता से कय किया था। कय करने के पश्चात उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होकर वादी अपने उपयोग उपभोग मे लेता आ रहा है, तथा वादी आज काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात का विकय पत्र के आधार पर वादी ने नामान्तकरण खुलवाने के लिए हल्का पटवारी को दे दिया था परन्तु पटवारी हल्का ने वादी के नाम से नामान्तकरण नही खोला। इसके उपरान्त बिरदा की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण सख्या 1008 दिनांक 29/07/2015 को प्रतिवादी सख्या एक व दो के नाम से खोल दिया गया। वादी दिनांक 15/2/2022 को पटवारी हल्का नेवटा तहसील सांगानेर से उक्त आराजीयात की जमाबन्दी प्राप्त की तो पता चला की उक्त कयशुद्वा आराजीयात प्रतिवादी सख्या एक व दो के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। तो वादी ने प्रतिवादी सख्या एक व दो को उक्त आराजीयात अपने नाम से करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सख्या एक व दो ने उक्त विकयशुद्वा आराजीयात वादी के नाम से करवाने के लिए इनकार कर दिया और कहा की उक्त आराजीयात हमारे नाम से है तथा उक्त आराजीयात को हम दिगर व्यक्तियो को विकय कर दिगर व्यक्तियो का कब्जा करवाने की धमकी दी। इस कारण वादी को यह वाद पत्र वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 748 रकबा 0.64 है0, वाके ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे हिस्सा 1/7 दर हिस्सा 1/2का विक्रय पत्र दिनांक 08/05/2008 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये, और उसी अनुसार प्रतिवादी सख्या एक व दो का नाम हजव कर उनके स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जाये, तथा वादी के हिस्से की भूमि का सीमा निर्धारण किया जावे। प्रतिवादी सख्या एक व दो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्ध फरमाया जावे कि वे वादी की कब्जे काश्त की क्रयशुद्धा भूमि मे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे, न ही उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र, इकरारनामा, रहन इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से तस्दीक करे, ऐसा न स्वयं करे न ही किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये। प्रतिवादी सख्या तीन को उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने व प्रतिवादी सख्या चार को विक्रय पत्र, इकरारनामा, इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से तस्दीक नही बावत पावन्द्व फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सख्या एक व दो बावजुद तामील न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी सख्या एक व दो के विरूद्ध दिनांक 28.12.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी सं. 3 व 4 को जबाव पेश करने के लिए तहरीर जारी की गयी। प्रतिवादी सं. 3 व 4 की तरफ से जबाव पेश नही होने पर जबाव का अवसर बन्द किया गया।

वादी की ओर से बहस एक पक्षीय सुनी गयी। वादी ने अपने वाद पत्र के अभिवचनो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 748 रकबा 0.64 है0, वाके ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे हिस्सा 1/7 दर हिस्सा 1/2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08/05/2008 को प्रतिवादी सख्या एक व दो के पिता से क्रय किया था। क्रय करने के पश्चात उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होकर वादी अपने उपयोग उपभोग मे लेता आ रहा है उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र के आधार पर वादी ने नामान्तकरण खुलवाने के लिए हल्का पटवारी को दे दिया था परन्तु पटवारी हल्का ने वादी के नाम से नामान्तकरण नही खोला। इसके उपरान्त विरदा की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण सख्या 1008 दिनांक 29/07/2015 को प्रतिवादी सख्या एक व दो के नाम से खोल दिया गया। जबकि उक्त आराजीयात वादी ने जरिये विक्रय पत्र क्रय की है। इस कारण वादी विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का कानूनन अधिकार रखता है।

वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी ने उक्त भूमि को जरिये विक्रय पत्र क्रय किया है परन्तु सहवन से वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे नामान्तकरण नही खोला जा सका हैं इस कारण उक्त आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या एक

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

व दो का नाम विरासत के आधार पर अंकित हो गया है जो गलत है। इस कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 748 रकबा 0.64 है0, वाके ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे हिस्सा 1/7 दर हिस्सा 1/2 का विक्रय पत्र दिनांक 08/05/2008 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित जाकर प्रतिवादी सख्या एक व दो का नाम राजस्व रिकार्ड मे हजब कर उनके स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे इस हेतु तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(एकता काबरा)
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।